International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 8 Issue 06 Ser. I || June 2019 || PP 73-75

ग्रामीण समाज की स्त्रियों की राजनैतिक गतिविधियों में भागीदारी

डॉ सुरेंद्र सिह
एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली

सन्दर्भ

परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिसे प्रत्येक समाज व काल में देखा जा सकता है, भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव स्त्रियों की स्थिति पर हुआ है। जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, परन्तु भारत की आत्मा माने जाने वाले गॉवों में यह परिवर्तन बहुत ही मन्द गति से हो रहा है। अतः ग्रामीण समाज में बदलाव तो हुआ है किन्तु वहॉ निवास करने वाली स्त्रियों की स्थिति में कोई बदलाव नही हुआ है। मुख्यतः उनकी राजनीतिक स्थिति में। यद्यपि भारत सरकार ने ग्रामीण स्त्रियों की दषा सुधारने के लिये प्रयास किये है तथा राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था मे महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर उनकी राजनैतिक सहभागिता को सुनिश्चित किया है और 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये प्रयासरत है शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया है।

भारत सम्पूर्ण विश्व का मानवता और नैतिकता का केंन्द्र विंदु रहा है। इन्हीं गुणों के कारण उसे ''विश्वगुरू'' तथा देवभूमि जैसी उपाधियों से अंलकृत किया जाता है। भारत के मानवीय ओर नैतिकता के दिव्य गुणों के दर्षन हम भारत के ग्रामीण समाज में कर सकते हैं।

इसलिये कहा भी गया है कि भार की आत्मा गॉवों में निवास करती है और सम्पूर्ण ग्रामीण सामाजिक रचना का मुख्य बिन्दु ग्रामीण महिलाएं है। आज भी ग्रामीण समाज की महिलाएं शहरी जीवन की तीव्र रफतार जिन्दगी से दूर सहज स्नेहषील और आत्मीयता से परिपूर्ण दिखाई देती है। भारतीय महिलाओं के इन्हीं गुणों का गुणगान सदियों से कुछ इस प्रकार होता रहा है। उन्हें ''जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे'' से कह कर सुषोभित किया जाता रहा है। घर्मशास्त्रों और वेदों में इस प्रकार वर्णित किया गया है।

प्रतिष्टिविराडसि
विष्णुरिवेहसरस्वती।
सिनींबालीप्रजायता

भगस्य सुमतावसत्।।[1] अथर्ववेद 14/2/15

हे नारी तुम यहाँ प्रतिष्ठित हो। तुम तेजस्वनी हो।
हे सरस्वती तुम यहाँ विष्णु के तुल्य प्रतिष्ठत होना।
हे सौभाग्यवती नारी तुम सन्तान को जन्म देना और
सौभाग्य देवता की कृपा दृष्टि में रहना।

वैदिक युग की नारी वुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में प्रवीण थी।[2] **याज्ञवल्क** ने भी कहा है, कि स्त्रियाँ पृथ्वी पर समस्त दैवीय गुणों की प्रतीक है; सोम ने अपनी समस्त पवित्रता उन्हे प्रदान की है, गन्धर्व ने मृदुवाणी तथा अग्नि ने उन्हे अत्यन्त आकर्षक बनाने के लिये अपनी समस्त चमक उन पर न्यौछावर कर दी है''[3] इस काल में महिलाओं की समाज में अत्यन्त उन्नत स्थिति थी। यद्यपि उस समय भी पितृ सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी पुत्र और पुत्रियों को समान अवसर तथा समान सुविधायें दी जाती थी।

शिक्षा के मामले में भी दोनों में कोई भेद–भावन ही किया जाता था। उपनयन संस्कार के बादक न्यायें भी वेदों का अध्ययन करसक तीथी। ऋग्वेद की श्रृचाओंका सृजन करने में लगभग 20 महिलाओं ने भी भागीदारी की थी। षिक्षा के क्षेत्र में जीवनभर पठन पाठन करने बाली स्त्रियों को ब्रम्ह वादिनी कहा जाता था। अपाला, घोषा, गार्गी विष्ववरा तथा आत्रेयी इसी वर्ग की महिलायें थीं। उस समय विवादित तथा अविवाहित स्त्रियों को समाज में स्वछंद विचरण की व्यवस्था थी। विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती थी।

उस समय भी विवाह माता–पिता के द्वारा तय किये जाते थे लिकिन फिर भी कान्याओं को वर चुनने की आजादी थी। राजसी परिवाररों में तो ''स्वयंवर प्रथाा'' का प्रचलन था। ''पर्दाप्रथा'' का प्रचलन नहीं था। नारी को कान्या के रूप में संपत्ति के सभी अधिकार मान्य थे।[4] वह दत्तक पुत्र से श्रेष्ठ मानी जाती थी , किन्तु विधवा स्त्री को संपत्ति के अधिकार मान्य नहीं थे। ''नियोग प्रथा'' का प्रचलन था तथा एक पत्नी रखने का आदर्श था।[5] सामान्य परिवारों में भी विधवाओं को दूसरा विवाह करने की अनुमति थी। समाज में पित्रसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था थी लेकिन फिर भी संपत्ति पर पति पत्नी का संयुक्त अधिकार होता था।

अतः वैदिक युग की महिलाओं की समाजिक स्थिति के सन्दर्भ में ''स्वर्ण युग'' की संज्ञा प्राप्त है। किन्तु शासन सत्ता के क्षेत्र में, राजनैतिक प्रभाव की स्थिति में स्त्रियों का बाहुल्य दिखाई नहीं देता।

मध्य कालः

भारत में मुगल शासन की सत्ता स्थापित हो जाने के पष्चात् देष में हिन्दू मुसलमार दोनों में ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह पर बल दिया जाने लगा। यद्यपि इस्लाम धर्म में स्त्री षिक्षा का निषेध नहीं है किन्तु मुस्लिम संस्कृति में पर्दा प्रथा का महत्वपर्ण स्थान हाने के कारण स्त्री षिक्षा का प्रचार प्रसार कम था। इस प्रथा का दुष्परिणाम यह रहा कि भारतीय समाज में भी पर्दा प्रथा का कठोरता से पालन करना सीखा। स्त्री के व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहित न करके उसे परम्पराओं की बेड़ियों में बाँध कर घर की चार दीवारी तक सीमित रखने का प्रयास किया गया। समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाओं को पनपने के अवसर बने जैसे विघवा पुनर्विवाह पर रोक, बाल विवाह, सती प्रथा जौहर प्रथा आदि। सम्पूर्ण मध्य काल में मुस्लिमों का शासन था कोई भी मुस्लिम महिला समाज में अग्रणी भूमिका नहीं निभा सकी। उदाहरण के रूप में कुछ महिलाओं ने शासन सत्ता के क्षेत्र मे साहसिक कार्य किये जैसे – ''रजिया सुल्तान'' रजिया सुल्तान गुलाम वंश के (1206–1209) शासक इल्तुतमिष की पुत्री थी।

उसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया का शासनकाल 1236–1240 तक ही रहा। खिलजी वंश (1236–1215 ए0डी0) नें चित्तौड़ पर आक्रमण किया और रानी पद्यमनी ने अपनी कुशलता से अपने पति चित्तौड़ के राणा को मुक्त करा लिया था। मुगलकाल में जोधपुर की रानी दुर्गावती से अपने पुत्र के शैशव काल में राज्य का शासन किया। मध्य प्रदेश में अहिल्या बाई होल्कर (1725–1793) ने अपने पति महाराज मल्लार राव होल्कर की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर संभाली थी। शासन सम्भालने के बाद 1767 में उन्होने अपनी राजधानी इन्दौर से बदल कर महेश्वर कर ली। उनके इस साहसिक कार्य को इतिहास में हमेशा सराहा जायेगा। उन्होंने अच्छे ढ़ंग से शासन करते हुए व्यवसायिक कुशलता का भी परिचय दिया।[8] सत्रहवीं और अठ्ठारहवीं सदी में मराठों ने अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिये लड़कियों के सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। यशक्त राव होल्कर की पुत्री रानी भीमा देवी ने सर जानमालकम को एक भेंट में बताया था ''कि पति या पुत्र के अभाव में राजकुमारियाँ सैन्य संचालन अपना कर्तव्य मानती है''।[7]

अतः कहा जा सकता है कि मध्य युग में स्त्री की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति उनके स्वभाविक विकास और व्यक्तित्व से सम्बंधित न होकर परिस्थितयों की दास रही। स्त्री को आवश्यकता के अनुसार ही शासन सत्ता के क्षेत्र में उपयोग किया गाया।

स्वतंत्रता से पूर्व स्त्रियों की राजनैतिक स्थिति :

अट्ठारह सौ सत्तावन (1857) के प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाली साहसी 'रानी लक्ष्मीबाई' ने अपने पति की मृत्यु के बाद झाँसी में शासन किया और अंग्रेजो से टक्कर ली। रानी की कुशल युद्ध नीति को देख कर 'जनरलरोज' ने लार्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को एक पत्र में रानी के बारे में लिखा था कि ''रानी उनमें सर्वश्रेष्ठ पुरूष है''[8] इस आन्दोलन में रानी ने झाँसी ,मध्य प्रदेश, ग्वालियर, राजस्थान का कुशल नेतृत्व किया उनके वीरता, शौर्य एवं नेतृत्व की तुलना फ्रांस की ''जोन ऑफ आक्र'' नामक बहादुर स्त्री से की जाती है। इसी आन्दोलन में अन्य स्त्रियों ने भी भाग लिया।

जिनमें अवध की बेगम हजर तमहल, रानी तुलसीपुर ,रानी समगढ़, रानी जिन्दा, नृत्यांगना अजीजन बाई ,जीनत महल, नाना की पालिता बेटी मैना, जिसे अग्रेजों ने जीवित जला दिया। इन महिलाओं ने स्वतंन्त्रता की शुरूवात में पुरूषों का बराबर सहयोग किया यद्यपि यह आन्दोलन सफल नहीं रहा। इस काल में चूँकि समाज में बहुत सी कुरीतियां अपनी चरम सीमा पर थी साथ ही अंग्रेजों के शासन के कारण, दो प्रकार के आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ एक तो समाज सुधार आन्दोलन, दूसरा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का अन्दोलन। समाज सुधारकों में सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पास करा कर शुरूवात की।[9] इसके पश्चात स्त्री शिक्षा के समर्थक ईश्वर चन्द्र विधा सागर के प्रयास से 1856 में हिन्दू विधवा पुर्नविवाह अधि नियम पारित हुआ।[10] इसके अतिरिक्त दयानन्द सरस्वती, गोविन्दरानाडे, पंडितरामाबाई, महर्षि कार्वे, स्वामी विवेका नन्द तथा महात्मा गाँधी के प्रयासों से सामाजिक सुधार करके नारियों की दशा सुधारने के लिये अथक प्रयास किये।

स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की राजनैतिक स्थितिः

भारत के पहले आम चुनाव 1952 में लोक सभा में कुल 499 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 22 महिलायें चुनकर आयी थी। 1957 के दूसरे आम चुनाव में 494 निर्वाचित प्रतिनिधियों में 27 महिलायें आयी। 1962 में 494 निर्वाचित प्रतिनिधियों में 34 महिलायें चुन कर आयी। 1967 में कुल निर्वाचत प्रतिनिधियों में 31 महिलायें चुन कर आयी। 1971 में 518 सीटों में 21 महिलायें चुन कर आयी। 1977 में यह संख्या गिरकर 18 रह गयी।

1980 के चुनावमें 142 स्त्रियां चुनाव में उतरी जिनमें 27 ही जीत सकी। 1984 मे 44 महिलायें आयी 1989 में 27, 1991 में 31, 1996 में 39, 1998 में 43 2008 में 59 महिलायें चुनकर आयी। 16 वीं लोकसभा में 61 महिलाऐं चुनकर आई अब तक का यह सर्वाधिक आंकडा है। महिला सांसदों की मौजूदा औसत का प्रतिनिधित्व 12.15 प्रतिशत है। राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है जो कि 09 प्रतिषत है।[11]

उपरोक्त अध्ययन के अधार पर कह सकते हैं कि महिलाओं की गुणात्मक और गणनात्मक राजनैतिक भागीदारी में अभी भी बहुत बड़ अन्तर है। जहा व्यवहारिक रूप में महिला नेता जाकि स्थानीय स्तर पर चुनी गयी है, अधिक सक्रिय नहीं है। आज भी सामाजिक परिवेष उनके कार्यक्षेत्र में बाधक का कार्य करता है। अतः स्पष्ट रूप से कह सकते है कि स्त्रियों की संख्या के आधार पर उन्हें भले ही सामाजिक न्याय दिलाने बाले आंकड़े सुन्दर और चमकीले दिख रहे हो किन्तु व्यवहारिक तौर पर उन्हें समाज में दोयम दर्जे पर रखा गया है। यह सत्य समाज के किसी भी वर्ग से छिपा नहीं है। मानसिक स्तर पर बदलाव राजनीति के लिए समय की मांग बनी हुई है।

संन्दर्भ सूचीः

1. अथर्व वेद 14/02/15
2. डा0 जयषंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पृ0सं0 344 ए0एस0 अल्तेकर, पोजीषन ऑफ वुमन इन हिन्दू सिविलाइजेषन पृ0 सं0 101
3. राम आहूजा, राईट ऑफ वुमेन, रावत पब्लिकेषन जयपुर 1992
4. डा0 जय शंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पृ0सं0 3481 विषिष्ट धर्मसूत्र 17.15
5. पूर्वोक्त प्राचीन भारत का इतिहास, पृ0सं0 3481
6. दैनिक जागरण, 5 सितम्बर, 1998
7. चन्द्रबली त्रिपाठी , भारतीय समाज में नारी आदर्षो का विकास, विष्वविद्यालय प्रकाषन, वाराणसी 1967
8. जे0 सी0 घोष, इंग्लिष वर्क्स ऑफ राज राममोहन रॉय, इलाहाबाद 1906
9. ईष्वर चंन्द्र विद्यासागर, मेरिज ऑफ हिन्दू विडोज, कलकत्ता 1906
10. एम0ई0 कजिन्स, अवेकिंग ऑफ एषियन वुमेनहुड, इलाहाबाद, 1941
11. राव, जेंडर इन पॉलिटिक्स, पब्लिष्ड ऑन 08 मार्च, 2016